समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)
आदेश

वर्तमान में आगजनी होने की सूचना बराबर प्राप्त हो रहे हैं। मधेपुरा जिला में तीन-तीन अग्निशामक वाहन दोनों अनुमण्डल में है। मधेपुरा अनुमण्डल में एक अग्निशामक वाहन खराब है। दोनों अनुमंडल में मात्र एक-एक अग्निशामक वाहन चालक की प्रतिनियुक्ति विभाग से की गयी है। एक वाहन चालक को दैनिक मजदूरी पर रखकर कार्य लिया जा रहा है। अग्निशामक वाहन पर्याप्त संख्या में नहीं रहने के कारण सभी प्रखण्डों /थानों में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार सुदूर क्षेत्रों में भी आगजनी की सूचना प्राप्त होने पर अनुमण्डल मुख्यालय से ही अग्निशामक को भेजा जाता है तथा आग लगे स्थानों पर अग्निशामक वाहन लेट से पहुंच पाते हैं। कुछ स्थल ऐसे भी हैं, जहां अग्निशामक वाहन को पहुंचने में कठनाई होती है। अग्निशामक वाहन को लेट से पहुंचने के कारण या तो आग लगने से बहुत घर जल चुके होते हैं अथवा संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में आग लगने पर तुरंत आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यवस्था आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर डीजल पम्प सेट से आग बुझाना श्रेयस्कर माना जा सकता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए सभी अंचलाधिकारी, मधेपुरा जिला को निदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में कहीं से भी आग लगने की सूचना प्राप्त होता है, तो तुरंत स्थानीय स्तर पर डीजल पम्प सेट से आग बुझाने का व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। तत्पश्चात् पीड़ित परिवारों से प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए कि (स्थानीय व्यवस्था के तहत् डीजल पम्प सेट से आग बुझाया गया है) डीजल पम्प सेट मालिक को 500/- (पांच सौ) रू0 का भुगतान ईंधन के मद में जनसंख्या निष्क्रमण मद से किया जाए। संबंधित अंचलाधिकारी इस मद में राशि की मांग जिला से करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 253 /आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक 26.04.16

प्रतिलिपि : सभी अंचलाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त व्यवस्था की विभागीय सम्पुष्टि किया जाए अन्यथा समुचित दिशा-निर्देश दिया जाए।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा /प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।